9/25/24, 1:07 PM इंदौर सिटी Page: 5 - पीपुल्स समाचार - पीपुल्स समाचार ई-पेपर

कर्नाटक बैंक ने क्राइम ब्रांच में की शिकायत

डिवाइन ज्वेलर्स के मालिक पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

शहर के नामचीन डिवाइन ज्वेलर्स बड़ा सराफा के मालिक, उसके परिजनों और जमानतदारों पर क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। ज्वेलर्स परिवार के खिलाफ दो बैंकों ने 7 करोड़ 34 लाख रुपए हड़पने की शिकायत की है। बड़े ज्वेलर्स की शिकायत होने पर दिनभर सराफा क्षेत्र में चर्चाएं चलती रहीं।

क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया को बैंक के प्रबंधन अमित चट्टोराज ने बताया कि ज्वेलर्स राजेश सोनी ने कारोबार बढ़ाने पांच साल पहले कर्नाटक बैंक से सीसी लिमिट के आधार पर लोन लिया था। लोन की शर्त में कारोबार बढ़ाए जाने का उल्लेख था, लेकिन ज्वेलर्स ने लोन शर्तों का उल्लंघन करते हुए उस राशि को निजी कामों, चल-अचल संपत्ति खरीदने आदि में खर्च कर दिया था। कुछ राशि 15 लोगों को बतौर ब्याज पेटे उधार दी थी। वहीं, फर्म के नाम से कुछ फर्जी बिल लगाकर भी लेनदेन अपनी खाताबही में दर्शाया।

ऑडिट में गड़बड़ी से मामला सामने आया : लोन के बाद ज्वेलर्स ने कर्नाटक बैंक से खाता बंद दिया और फर्म के नाम से नया खाता आईसीआईसीआई बैंक में खोल दिया। कर्नाटक बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं होने से ज्वेलर्स को पत्र लिखे। वहीं, पिछले साल ऑडिट कराया तो उसमें ट्रांजेक्शन को लेकर गलतियां सामने आईं। इसके बाद ज्वेलर्स और उसके परिजनों के खातों की बारीकी से जांच में तो सारी गड़बड़ियां उजागर हुईं।

दो साल से ट्रांजेक्शन बंद : बैंक अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 सालों से ज्वेलर्स के खातों में पूरी तरह से ट्रांजेक्शन बंद हो गए थे। बैंक को शंका हुई तो डिवाइन ज्वेलर्स से जुड़े दिलीप, मनोज सोनी, इदान सोनी, राजेश सोनी व अन्य से बातचीत भी की गई। जब संतोषप्रद जवाब नहीं मिले तो बैंक के अफसरों ने शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने गौरीशंकर सोनी, राजेश कुमार सोनी, कंचनादेवी, मनोज कुमार सोनी, दिलीप कुमार सोनी, पूनम सोनी, नेहा सोनी पर धारा 409, 420, 120(बी) के तहत केस दर्ज किया है।

सराफा पहुंची पुलिस : डिवाइन ज्वेलर्स के मालिक और पार्टनर आदि पर केस दर्ज होने के बाद पुलिस बड़ा सराफा पहुंची। यहां गोल्डन प्लाजा स्थित दुकान पर आरोपी को लेकर पूछताछ की और वहां के कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। इस दौरान कई व्यापारी इकट्ठा हो गए थे।

दो साल से कारोबार हुआ कमजोर

सराफा के एक व्यापारी ने बताया कि डिवाइन ज्वेलर्स का प्रतिवर्ष करोड़ों का कारोबार है। पिछले दो साल से कारोबार में कमी आई हुई थी। कई व्यापारियों से लेनदेन भी चल रहा था। लेनदेन में विवाद के चलते दुकान मालिक राजेश यदाकदा ही आता था। सारा कारोबार उसका भाई मनोज और पत्नी पूनम संभालती थी।

जमीन और प्रॉपर्टी की जांच शुरू

पुलिस ने प्रकरण दर्ज होने के बाद दुकान से ज्वेलरी के स्टॉक और कुछ अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। इसमें जमीन और प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज भी मिले। इनकी जांच की जाएगी। जांच में यदि धोखाधड़ी का राशि से क्रय-विक्रय होना पाया गया तो उन्हें सीज किया जाएगा।

कंटेनर ने मारी युवती को टक्कर, मौत

इंदौर। नौकरी से घर जा रही युवती को पीछे से तेज गति से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी। इससे युवती की मौके पर ही मौत हो गई। राऊ पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार शाम 5 बजे की है। ग्राम हरसोला निवासी शिवानी पिता राधेश्याम पाटीदार, राऊ औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी करती थी। मंगलवार को वह अपनी स्कूटी से घर जा रही थी। तभी राऊ सर्कल के पास तेज गति से आ रहे कंटेनर क्रमांक एमएच 04 एलई 8497 ने टक्कर मार दी। घटना के बाद राहगीरों ने कंटेनर में तोड़फोड़ कर दी।

डूबने से युवक की मौत

इंदौर। दोस्तों के साथ ओंकारेश्वर घूमने गए युवक की नर्मदा नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक का नाम अर्जित पिता आशीष निवासी कुलकर्णी का भट्टा है। वह 12वीं कक्षा का छात्र था।

जोन एक में ड्रग्स तस्करों पर टूट पड़ी पुलिस ठिकाने चिह्नित कर दी दबिश, कई भूमिगत

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आदेश के बाद जोन एक की पुलिस सक्रिय हो गई है। जोन अंतर्गत आने वाले सभी थानों, विशेषकर जहां नशा कारोबार संचालित होता है, वहां पुलिस ड्रग्स तस्करों पर टूट पड़ी है। उनके घर और अन्य ठिकानों को चिह्नित कर दबिश दी जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से बचने कई नशेड़ी और तस्कर भूमिगत हो गए हैं। मुहिम देर रात तक चल रही है। इस दौरान शराब पीकर कार चलाने, सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर नशा बेचने, उपयोग करने वालों की धरपकड़ की जा रही है।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर रहे : अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक शर्मा ने बताया कि जोन में ऑपरेशन ईगल क्लॉ ड्रग्स तस्कर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए संचालित किया जा रहा है। इसके तहत सभी थाना क्षेत्रों में पैडलर्स के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। आदतन अपराधियों पर पिट्स एनडीपीएस एक्ट, जिलाबदर एवं रासुका लगा रहे हैं। जो बदमाश बार-बार अपराध कर रहा है, उसे जेल भेजा जा रहा है।

20 की जमानत निरस्त : जोन में सक्रिय 20 गंभीर अपराध करने वाले बदमाशों की जमानत निरस्त कराई गई, जिसमें 4 तस्कर भी शामिल हैं। इसके अलावा 10 आदतन बदमाशों पर पिट्स एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई। इस साल में अब तक 60 पर जिलाबदर, 4 पर रासुका, 20 को जिलाबदर उल्लंघन करने पर जेल भेजा गया। 125 पर बांड ओवर के उल्लंघन की कार्रवाई की। इसमें 21 को जेल भेजा। 30 बदमाशों से 2.50 लाख की बांड राशि जमा कराई गई।

मादक पदार्थ भी पकड़े

गत तीन दिन में 500 वाहनों की चेकिंग की। इसमें 25 चालकों पर शराब पीकर वाहन चलाने का केस दर्ज किया गया। होटल, ढाबों की चेकिंग की जा रही है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले10, मादक पदार्थ का सेवन करने वाले 50 लोगों को पकड़ा। इसी क्रम में एनडीपीएस में 286 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए, जिसमें 315 पर कार्रवाई कर उनसे 519 ग्राम ब्राउन शुगर, 113 ग्राम एमडी ड्रग और 66.19 ग्राम गांजा जब्त किया गया है।

सूने मकान और धर्मशाला में लाखों की चोरी

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

सोमवार रात हीरानगर थाना क्षेत्र में वडीवेल पिता सुब्रमण्यम निवासी सुखलिया निजी कंपनी में काम से कुछ दिनों से बाहर गया हुआ था। सोमवार को जब घर लौटा तो चोर अलमारी में रखे सोने के चार हार, अंगूठी, मंगलसूत्र, पेंडल, बाली, चांदी की पायल सहित नकदी ले गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद फरियादी के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं। इसी प्रकार पंढरीनाथ थाना क्षेत्र से बदमाश धर्मशाला से कुलदेवी देवताओं की चांदी मूर्तियां चुराकर ले गए। फरियादी चेतन पिता अशोक सोनोने निवासी मच्छी बाजार ने बताया कि जय मल्हार सदन सार्वजनिक धर्मशाला नार्थ हरसिद्धि में चोरी की वारदात हुई।

निवेश के नाम पर 29 लाख ऐंठे

इंदौर। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर झांसा देकर बदमाश ने युवक से 29 लाख रुपए ऐंठ लिए। क्राइम ब्रांच को फरियादी धनंजय कुमार तिवारी निवासी बिचौली मर्दाना ने बताया कि उनके पास मुंबई से लजार्ड फंड कंपनी की ओर से कॉल आ रहे थे। कॉल करने वाले बदमाश ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर झांसा दिया जा रहा था। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

सुपरवाइजर को लगी गोली, मौत

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

बाणगंगा थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को गोली लग गई, जिससे उनकी आकस्मिक मौत हो गई। घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों ने किसी प्रकार की आवाज नहीं सुनी और गोली चलने के बाद खोल तक नहीं मिल सका। आशंका है कि गोली कहीं दूर से आकर सुपरवाइजर को लगी है। डीसीपी जोन 3 के उपायुक्त हंसराज ने बताया कि गोली लगने की घटना को हत्या मानकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। मृतक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी कि उसकी किसी से रंजिश या लेनदेन का मामला तो नहीं। कुछ संदिग्धों की धरपकड़ में भी पुलिस जुट गई थी। इसी बीच जांच में नया घटनाक्रम सामने आ गया।

हातोद निवासी बलराम पिता मानसिंह का प्रॉपर्टी व कंस्ट्रक्शन का काम है। वह मंगलवार सुबह 9 बजे रेवती रेंज से करीब डेढ़ किमी दूर बरदरी में निर्माणाधीन बिल्डिंग में सुपरवाइजरी करने आया था। बिल्डिंग में 25 महिला-पुरुष कार्यरत थे। कुछ मजदूर सुपरवाइजर से बात करने लगे। तभी उनके हाथ में गोली आकर लगी। हाथ से खून आया तो मजदूरों में हड़कंप मच गया। वे तत्काल उन्हें अरबिंदो हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि गोली लंबी दूरी से लगना प्रतीत होता है।

फायरिंग रेंज में प्रशिक्षण हो रहा है-पुलिस का मानना है कि रेवती रेंज में कुछ दिनों से फायरिंग प्रशिक्षण हो रहा है। इस प्रशिक्षण में कई निशानेबाज भाग लेते हैं। संभवतया फायरिंग के दौरान गोली छूटकर सुपरवाइजर को लगी होगी। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कलेक्टोरेट परिसर में बुजुर्ग की मौत

इंदौर। कलेक्टोरेट परिसर के गार्डन में बुजुर्ग की मौत हो गई। वह बेंच पर बैठकर नमकीन खा रहा था। आसपास के लोगों ने उसके शरीर में हलचल नहीं देखी तो पुलिस को सूचना दी। पंढरीनाथ पुलिस के अनुसार, छोटी ग्वालटोली निवासी सुभाष पिता दुर्गाशंकर (65) साल की मौत हो गई। जांच में पता चला कि वह मजदूरी करता था। दोपहर करीब 1 बजे वह गार्डन में बैठा था। आसपास तीन-चार लोग और बैठे थे। शरीर में हलचल नहीं होने पर लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने साइलेंट अटैक से मौत होना बताया।

अर्धनग्न अवस्था में घूमती रही युवती, वीडियो वायरल

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9926064287

शहर से कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो इंदौर की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही वीडियो 56 दुकान और मेघदूत गार्डन चाट चौपाटी पर वायरल हुआ। यहां एक 25 से 28 साल की युवती अर्धनग्न अवस्था में घूमती रही। भीड़भरे दोनों स्थानों पर युवती को देखने लोग इकट्ठा हो गए। तत्काल कुछ लोगों ने तुकोगंज पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती जा चुकी थी। कुछ देर बाद युवती मेघदूत गार्डन के सामने नजर आई तो विजयनगर पुलिस पहुंची। पुलिस को आता देख युवती वहां से भाग निकली। थाना प्रभारी जितेन्द्रसिंह यादव ने बताया कि युवती के हुलिए और पहनावे से वह किसी बाहरी राज्य की प्रतीत होती है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि युवती इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए वीडियो बनवा रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए यहां तक लोग उतर आएंगे सोच भी नहीं सकते। मामले में हिंदूवादी संगठन के राजपाल जोशी (प्रतीक) निवासी ओल्ड राजमोहल्ला ने पुलिस आयुक्त राकेश गुप्ता को शिकायती पत्र सौंपा है।

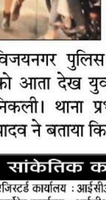

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
AU SMALL FINANCE BANK — A SCHEDULED COMMERCIAL BANK
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001

नीलामी निरस्तीकरण सूचना

सर्वसाधारण एवं संभंधित को सूचित किया जाता है कि दिनांक **21 सितम्बर 2024** को इस समाचार पत्र में **पृष्ठ संख्या 5 इन्दौर** में प्रकाशित नीलामी सूचना जिसके तहत ऋणी **शिवम ज्वैलर्स (ऋण खाता संख्या L9001060117450744)** की फ्रीहोल्ड संपत्ति स्थित दर्जी मोहल्ला, केशव दास बैरागी मंदिर के सामने, नगर बडवानी तहसील बडवानी जिला, मप्र क्षेत्रफल 653 वर्ग फीट की नीलामी दिनांक **16 अक्टूबर 2024** को आयोजित होने वाली थी, को तकनीकी कारणों से निरस्त किया जाता है।

प्राधिकृत अधिकारी
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
ADITYA BIRLA CAPITAL
पंजीकृत कार्यालय- इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362266
शाखा कार्यालयः बेंचमार्क बिजनेस पार्क, 5वीं मंजिल, ब्लॉक नंबर ए-3, स्कीम नंबर 54- पीयू-4, सत्य साई स्कूल के सामने, विजय नगर, इंदौर - 452010

बिक्री नोटिस
[सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 का नियम 9(1)]

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के तहत आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सौंपी गई अचल संपत्ति की निजी संधि द्वारा बिक्री।

नीचे हस्ताक्षरकर्ता आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद 'एबीएचएफएल' के रूप में संदर्भित) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, अचल संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है, जो प्लॉट नंबर 201 का पूरा टुकड़ा और पार्सल है, जिसका माप 680 वर्ग फीट है, यानी 63.39 वर्ग मीटर, शांति पैराडाइज कॉलोनी, जो सर्वे संख्या 2047/1/1 की भूमि पर बनी है, गांव हरसोला, तहसील महू, जिला इंदौर, म.प्र.-453441 में स्थित है, और इसकी सीमाएँ हैं: उत्तरः कॉलोनी की सड़क, दक्षिणः प्लॉट नंबर ए-200, पूर्वः प्लॉट नंबर ए-202, पश्चिमः रोड ऑफ कॉलोनी (इसके बाद "सुरक्षित संपत्ति" के रूप में संदर्भित) वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "सरफेसी अधिनियम, 2002" के रूप में संदर्भित) की धारा 13(4) के तहत जो वित्तीय सुविधा के लिए एबीएचएफएल के पक्ष में सुरक्षित थी, इसकी बकाया राशि रु. 15,15,498.42 / - (रु. पंद्रह लाख पंद्रह हजार चार सौ अट्ठानवे और बयालीस पैसे मात्र) 10.02.2023 तक और उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं शीतल बाई, अनिल बोयत (इसके बाद "उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित) को वसूली की तारीख तक उस पर किए गए ब्याज और अन्य खर्च।

सुरक्षित संपत्ति की सार्वजनिक नीलामी/ई-नीलामी के विफल होने पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता सरफेसी अधिनियम, 2002 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत निजी संधि के माध्यम से बिक्री के जरिए उक्त सुरक्षित संपत्ति के खिलाफ अपने सुरक्षा हित को लागू कर रहा है। प्राधिकृत अधिकारी को उपर्युक्त सुरक्षित संपत्ति की खरीद के लिए एक भावी खरीदार से रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। अब, प्राधिकृत अधिकारी सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के अनुसार निजी संधि द्वारा उपरोक्त सुरक्षित संपत्ति को बेचने के लिए नोटिस दे रहे हैं। बिक्री रुपये की वसूली के लिए 14-10-2024 को या उसके बाद "जहां है जैसा है" के आधार पर, "जो कुछ भी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर की जाएगी। 10.02.2023 तक एबीएचएफएल को उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं से रु.15,15,498.42/- (रु. पंद्रह लाख पंद्रह हजार चार सौ अट्ठानवे और बयालीस पैसे मात्र) बकाया है। सुरक्षित परिसंपत्ति का आरक्षित मूल्य रु. 7,50,000/- (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र) तय किया गया है।

उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि सरफेसी अधिनियम, 2002 और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के प्रावधानों के तहत सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, और ABHFL अब सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (5) के प्रावधानों के तहत निर्धारित निजी संधि के माध्यम से यहां उल्लिखित सुरक्षित संपत्ति की बिक्री को प्रभावित करके अपने सुरक्षा हित को लागू करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं का ध्यान उक्त सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

दिनांक : 25.09.2024 — हस्ते/- प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : इंदौर — (आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

INDUSIND BANK
इंडसइंड बैंक, प्रथम मंजिल, संगम टॉवर, जयपुर पिन कोड-302001

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

(परिशिष्ट IV के अनुसार सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित)

चूँकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 54 वर्ष 2002) (सरफेसी अधिनियम) के अंतर्गत इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 26/06/2024 को एक मांग नोटिस जारी कर ऋणी और सह-ऋणी- मेसर्स एस एस कार बाजार को इसके स्वामी, श्री देवराज टुटेजा और श्रीमती शशि टुटेजा के माध्यम से, ऋण खाता संख्या III00948N और 700000015119 उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि 48,43,327.16 (रुपये अड़तालीस लाख तैंतालीस हजार तीन सौ सत्ताईस पैसे सोलह मात्र) 25 जून 2024 को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर शुल्क, लागत आदि सहित चुकाने के लिए।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता(ओं) द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ताओं और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 9 के साथ दिनांक 23/09/2024 को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से कोई भी लेन-देन इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि रु. 48,43,32 7 .1 6 (रुपये अड़तालीस लाख तैंतालीस हजार तीन सौ सत्ताईस पैसे सोलह मात्र) और उस पर अतिरिक्त ब्याज, साथ ही 25 जून 2024 से होने वाले लागत, प्रभार, व्यय होंगे।

अचल संपत्ति का विवरण

फ्लैट नंबर 101 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, प्लॉट नंबर 2 के पूर्वी भाग में "मानस एन्क्लेव" की पहली मंजिल, (भाग-ए) दुबे कॉलोनी, माणिक बाग रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश। सुपर निर्मित क्षेत्रफल 1992 वर्ग फीट पूर्वः गलियारा, पश्चिमः फ्लैट नंबर 102, उत्तरः फ्लैट नंबर 104, दक्षिणः रोड

स्थान : इंदौर — अधिकृत अधिकारी
दिनांकः 23.09.2024 — वास्ते इंडसइंड बैंक लिमिटेड

सांकेतिक कब्जा सूचना

ICICI Home Finance
रजिस्टर्ड कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051
कार्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुम्बई-400059
शाखा कार्यालय: कार्यालय क्रमांक -106,पहली मंजिल, पुखराज कॉपोरेट, नवलखा इंदौर-452001
शाखा कार्यालय: श्रीमाया स्क्वायर, दूसरी मंजिल, 62, क्षपानक मार्ग, फ्रीगंज, माधव नगर हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन- 456010

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किए हैं।

चूंकि उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर यहां वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इसके द्वारा संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स. क्र.	ऋणकर्ता का नाम /सह-ऋणकर्ता / (ऋण खाता नंबर)	संपत्ति का विवरण/ कब्जा दिनांक	मांग पत्र दिनांक/ मांग पत्र राशि	शाखा का नाम
1.	तरुण खोडे (उधारकर्ता), रीना खोडे (सह-उधारकर्ता), यशवंत राव खोडे (सह-उधारकर्ता), आशा खोडे (सह-उधारकर्ता), LHIND00001346464.	48/3 संविद नगर इंदौर ना इंदौर मध्य प्रदेश- 452002. (संदर्भ लैन नं. LHIND00001346464) उत्तर: नाथा, दक्षिण: रोड, पूर्व: जगन्नाथ का घर, पश्चिम: विक्रेता का शेष भाग।/कब्जे की तारीख- 20-सितंबर-24	13-10-2023 Rs. 44,10,875/-	इन्दौर-नवलखा-बी
1.	तरुण खोडे (उधारकर्ता), रीना खोडे (सह-उधारकर्ता), LHIND00001346624.	48/3 संविद नगर इंदौर ना इंदौर मध्य प्रदेश- 452002. (संदर्भ लैन नं. LHIND00001346624) उत्तर: नाथा, दक्षिण: रोड, पूर्व: जगन्नाथ का घर, पश्चिम: विक्रेता का शेष भाग।/कब्जे की तारीख- 20-सितंबर-24	13-10-2023 Rs. 1,81,630.5/-	इन्दौर-नवलखा-बी
2.	तरूण सिंह विजय सिंह सरगरा (उधारकर्ता) धर्मपाल सिंह सरगरा (सह-उधारकर्ता), विजय सिंह सरगरा (सह-उधारकर्ता), निर्मला विजय सरगरा (सह-उधारकर्ता), LHUJN00001454025	फ्रीहोल्ड हाउस नंबर 5 906 न्यू 14 गली नंबर 12, गौतम मार्ग, ढोली बाखल उज्जैन उज्जैन ना उज्जैन मध्य प्रदेश- 456006 (रेफ. लैन नंबर LHUJN00001454025) पर स्थित है। उत्तर: गली और श्री बालकिशन का घर, दक्षिण: श्री सलीम चाचा का घर, पूर्व:श्री बालकिशन और श्री का घर, पश्चिम: पश्चिम ढोली भाकल।/ कब्जे की तारीख- 20-सितंबर-24	19-04-2024 Rs. 39,60,773/-	उज्जैन-बी
3.	तरूण सिंह विजय सिंह सरगरा (उधारकर्ता), धर्मपाल सिंह सरगरा (सह-उधारकर्ता), निर्मला विजय सरगरा (सह-उधारकर्ता), विजय सिंह सरगरा (सह-उधारकर्ता), HWN00001454026.	फ्रीहोल्ड हाउस नंबर 5 906 न्यू 14 गली नंबर 12, गौतम मार्ग, ढोली बाखल उज्जैन उज्जैन ना उज्जैन मध्य प्रदेश- 456006 (रेफ. लैन नंबर LHUJN00001454026) पर स्थित है। उत्तर: गली और श्री बालकिशन का घर, दक्षिण: श्री सलीम चाचा का घर, पूर्व: श्री बालकिशन और श्री का घर, पश्चिम: ढोली भाकल।/ कब्जे की तारीख- 20-सितंबर-24	19-04-2024 Rs. 2,02,226/-	उज्जैन-बी

उपर्युक्त उधारकर्ताओं/गारंटरों को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्तियां सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनो के बाद बेच दी जाएंगी।

दिनांक सितम्बर 25, 2024, स्थान : इंदौर, उज्जैन — अधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड

kotak — कोटक महिन्द्रा बैंक लि. — ई- नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी27, जी ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा(ई), मुम्बई-400 051(महा.)
कार्पोरेट कार्यालय: कोटक इनफिनिटी, जोन-II, चौथी मंजिल, बिल्डिंग नं. 21, इनफिनिटी पार्क, डब्ल्यू.ई. हाइवे, गोरेगांव, मुम्बई-400 097 (महा.)
शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, पांचवी मंजिल, मेट्रो टॉवर, विजय नगर, इंदौर म.प्र.-452001

एतद् द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को गिरवी रखी गई है, जिसका भौतिक कब्जा **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी** द्वारा लिया गया है। जिसे **''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा,अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार, मे. सी1 इंडिया प्रायवेट लिमिटेड यानि www.c1india.com के वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाईन जमा करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

ऋणकर्ता(ओ) /ग्यारंट(रो)/ मार्टगेजर (रो) का नाम	मांग पत्र दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विस्तृत विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	अचल संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि
बीबीए-डब्लूसी ऋण संख्या 818044000929 और सीआरएन संख्या 99340257 1. मेसर्स अभिनंदन एंटरप्राइजेज (उधारकर्ता) 6, चिमनबाग मंडी, व्यास कुट्टी, आगर रोड उज्जैन (म.प्र.) 2. श्री जितेन्द्र राठौर पुत्र नन्द किशोर राठौर (सह-उधारकर्ता), 3. श्री नन्द किशोर राठौर पुत्र मूलचन्द राठौर (सह-उधारकर्ता), 4. श्री संतोष कुमार राठौर पुत्र नन्द किशोर राठौर (सह-उधारकर्ता), 5. श्रीमती रुखमणी बाई राठौर पत्नी नन्द किशोर राठौर (सह-उधारकर्ता) सभी का पता: 6/1 अशोक मंडी चिमनगंज मंडी उज्जैन (म.प्र.) (सह-उधारकर्ता/गारंटर)	दिनांक 18 जुलाई 2019, रु. 22,81,842.87/- (बाईस लाख अस्सी हजार आठ सौ बयालिस और आठ सात पैसे की रकम) 12/7/19 तक	संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा जो प्लॉट नं. 6 ए चिमनगंज मंडी उज्जैन (म.प्र.) - 456006 है, जिसका क्षेत्रफल 59.43 वर्ग फीट है। श्री नंद किशोर राठौर के स्वामित्व में उप-पंजीकरण जिला- उज्जैन और रजिस्ट्रार कार्यालय उज्जैन म.प्र. की सीमा के भीतर है।	रु. 14,58,000/- (रुपये चौदह लाख अट्ठावन हजार)	रु. 1,45,800/- (रुपये एक लाख पैंतालीस हजार आठ सौ मात्र)	08/10/2024 11:00 बजे — 12:00 बजे; दिनांक/नीलामी समय 17/09/2024 11:00 बजे — 12:00 बजे

बोली वृद्धि राशि 50,000/- प्रस्ताव / ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: - 16/10/2024 शाम 5.00 बजे तक

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें :
(1) नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड** की वेबसाइट देख सकते हैं यानी **https://www.bankeauctions.com** ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्तियों का विवरण और बोली प्रपत्र जो आनलाईन जमा किया जाएगा। (2) सभी इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** में अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मुफ्त में जेनरेट करना होगा। पूर्वोक्त तिथि और समय पर ; (3) ई-नीलामी पर किसी भी पूछताछ, सूचना, समर्थन, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार **मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विभाग से श्री धारानी कृष्णा मोबाइल नंबर**: 9948182222 और **ई-मेल आईडी**: mpcg@c1india.com और **support@bankeauctions.com** से संपर्क कर सकते है। (4) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीदाता ऊपर वर्णित या पूर्व नियुक्ति के साथ किसी अन्य तिथि और समय पर संपत्ति और उसके दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते है और उन्हें ई-नीलामी पर अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकार पर भार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन केएमबीएल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे **केएमबीएल** को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को वेब पोर्टल (**https://www.bankeauctions.com**) पर ब्याज मुक्त वापसी योग्य बयाना जमा (ईएमडी) के भुगतान का विवरण जमा/अपलोड करना होगा। इन्दौर में देय 'कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास के पते के प्रमाण, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ जैसा की ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। (5) अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी जो ई-नीलामी में सफल नहीं हुए, उन्हें केएमबीएल द्वारा ई-नीलामी बंद होने के 72 कार्य घंटों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नही होगा। (6) सफल क्रेता/बोलीदाता को क्रय प्रतिफल की शेष राशि प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार द्वारा उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति की 'बिक्री की पुष्टि' की तारीख से पंद्रहवें (15वें) दिन या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने विवेक पर लिखित रूप में सहमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर देय होगी। चूक की स्थिति में, तब तक जमा की गई सभी राशियां जब्त हो जाएंगी ;

सरफेसी अधिनियम के नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के तहत ऋणी/बंधक/गारंटर को एतद्वारा **15 दिनों** का वैधानिक नोटिस दिया जाता है। ताकि देयता का पूर्ण निर्वहन किया जा सके और भुगतान किया जा सके। इस नोटिस की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित देय राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर सुरक्षित संपत्ति को ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा। अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति होने की स्थिति में, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा। यदि उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता बैंक को देय राशि का भुगतान बिक्री की तारीख से पहले पूरी तरह से कर देता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए हमारे अधिकृत अधिकारी **श्री प्रशांत सातपुते @9724433999 और श्री अशोक मोटवानी @ 9873737351** पर बैंक के उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करें।

विशेष निर्देश :- ई-नीलामी हमारे सेवा प्रदाता **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड** द्वारा संचालित की जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) की ओर से, पूर्व-निर्दिष्ट तिथि पर, जबकि बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी पसंद के अनुसार अपने स्वयं के घर/कार्यालयों/अपनी बोली के स्थान से उद्धृत करना होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सामग्री आवश्यकताओं को बोली लगाने वालों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की विफलता (किसी भी कारण से जो भी हो) की पूरी जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी और न तो केएमबीएल और न ही **सी1 इंडिया प्राइवेट। लिमिटेड** इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जो भी आवश्यक हों, करें ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और फिर भी ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। तथापि, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी जटिल स्थिति से बचने के लिए अपनी बोली को उद्धृत करने/सुधारने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें।

स्थानः उज्जैन (म.प्र.) दिनांक : 25.09.2024 — हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी), कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

एलआईसी हाऊसिंग फायनेंस लि.
LIC HFL — LIC HOUSING FINANCE LTD
एरिया ऑफिस दूसरी मंजिल, गजानन भवन, ईसी-63, स्कीम नंबर 94, पार्ट-सी, बॉम्बे हॉस्पिटल स्क्वायर के सामने, विजय नगर, इंदौर, म.प्र. 452010
फोन नंबर 0731-2553881, Website: www.lichousing.com

परिशिष्ट-IV नियम 8(1)प्रतीकात्मक आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरकर्ता एलआईसी हाऊसिंग फायनेंस लि. का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित ऋणधारियों को ब्याज राशि सहित नोटिस प्राप्ति के दिनांक से 60 दिन की समयावधि में भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था। ऋणीग्रहिता राशि का भुगतान करने में असफल रहा है अतः ऋण ग्रहिता और सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचना पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम (8) के साथ पढ़ा जाये एतरिमन नीचे वर्णित संपत्ति का आधिपत्य को ग्रहण कर लिया गया है। ऋणगहिता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद् द्वारा निम्नवर्णित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के लिये निम्न खाते के सामने अंकित एलआईसी हाऊसिंग फायनेंस लि. प्रभार के अधीन होगा।

क्रं.	ऋण खाता संख्या	खातेदार का नाम एवं पता	संपत्ति विवरण	मांग सूचना तिथि / कब्जा सूचना	उल्लेखित राशि मांग सूचना पत्र ₹
1.	121400000252	श्री राजकुमार जैन सुश्री रचना जैन प्लॉट नं. 09, फ्लैट नं. 404, उर्वशी अपार्टमेंट, जावरा कंपाउंड, इंदौर(म.प्र.) फ्लैट एरियाः- 1330 वर्ग फीट (सुपर बिल्टअप)	प्लॉट नं. 09, फ्लैट नं. 404, उर्वशी अपार्टमेंट, जावरा कंपाउंड, इंदौर (म.प्र.)	25/06/2024 / 20/09/2024	33,73,915.33 + ब्याज व अन्य खर्चे
2.	8002140000204 8002140000216	श्री नितिन अग्रवाल सुश्री मेघा अग्रवाल प्लॉट नं. 30, मध्य भाग, मंगल मारुति धाम कॉलोनी, नवलखा, इंदौर (म.प्र.) प्लॉट एरियाः- 1180 वर्ग फीट	प्लॉट नं. 30, मध्य भाग, मंगल मारुति धाम कॉलोनी, नवलखा, इंदौर (म.प्र.)	25/06/2024 / 20/09/2024	1,20,94,235.80 + ब्याज व अन्य खर्चे
3.	121400000362	श्री फिरोज आलम सुश्री जुबैदा आलम 312, डॉ. अखिल राज के सामने, आजाद नगर, इंदौर (म.प्र.) फ्लैट एरियाः- 728 वर्ग फीट (सुपर बिल्टअप)	प्लॉट नं. 129, फ्लैट नं. 101, पूजा अपार्टमेंट, सिलिकॉन वैली, इंदौर (म.प्र.)	25/06/2024 / 20/09/2024	12,78,883.13 + ब्याज व अन्य खर्चे
4.	121400000611	श्री लवकेश राव सुश्री सुनीता राव 163-बी, जय श्री नगर, देवास (म.प्र.) प्लॉट एरियाः- 765 वर्ग फीट	मकान नं. 70 दक्षिण भाग, चाणक्यपुरी, देवास (म.प्र.)	25/06/2024 / 20/09/2024	6,25,032.75 + ब्याज व अन्य खर्चे
5.	121400000068 121400000599	श्री केतन जैन सुश्री अनीता जैन सुश्री विनोदा बाई प्लॉट क्रमांक 56/18 का मध्य भाग, भाग-III, नया देवास रोड, इंदौर (म.प्र.) प्लॉट क्षेत्रफलः- 568.75 वर्ग फीट	प्लॉट क्रमांक 56/18 का मध्य भाग, भाग-III, नया देवास रोड, इंदौर (म.प्र.)	25/06/2024 / 20/09/2024	23,05,532.46 + ब्याज व अन्य खर्चे

ऋणी एवं जमानतदारों को सूचित (**Notice**) किया जाता है। कि इस नोटिस के छपने की तारीख के 30 दिनों के अंदर, वे उपरोक्त राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं खर्चो का भुगतान कर देवें अन्यथा उक्त वर्णित संपत्ति की नीलामी कर दी जावेगी तथा उसके बाद ऋण एवं ब्याज की वसूली खर्चे सहित ऋणी एवं जमानतदार से की जावेगी।

दिनांक : 25.09.2024 — आज्ञा से
स्थान : इंदौर — प्राधिकृत अधिकारी, एलआईसी हाऊसिंग फायनेंस लि.

https://epapers.peoplessamachar.in/epaper/edition/15880/indore-city/page/5 1/1